

HPFD-F05/164/2025-FCA

वन विभाग हिमाचल प्रदेश ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र० ।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
उप-कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय), चण्डीगढ़
सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, िमलाली खण्ड,लौंगबुड,
िमला, हिमाचल प्रदेश ।-1710001

दिनांक िमला-1

विषय: **Diversion of 1.3953 hectare of forest land in favor of HPPWD for the construction of link road from Chintpurni Talwar (Jhurni Mod) to Nangal via Sunhet Jubbre (Kms. 0/00 to 3/056), within the jurisdiction of Dehra Forest Division, Distt. Kangra, H.P. (FP/HP/Road/34634/2018)**

महोदय जी,

आपके कार्यालय के पत्र सं० 8बी/एच पी/०6/74/2019/एफ सी/352 दिनांक 15/05/2019 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विषयाधिन प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

- 1^प प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दण्डात्मक वृक्षारोपण एवं उसके रख रखाव हेतु आव यक धनराि ि जमा कर ली गई है।
- 2^प प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भुद्ध वर्तमान मूल्य की राि ि जमा कर ली है।
- 3^प भुद्ध वर्तमान मूल्य की राि ि की बचनबद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट के साथ दी है।
- 4^प प्रयोक्ता अभिकरण ने सभी निधियों की निधारित राि ि online challan के माध्यम से जमा की है।
- 5^प सडक निमार्ण के प चात जहा जहा भी सभव होगा, पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 6^प बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 7^प प्रयोक्ता अभिकरण ने सभी निधियों की निधारित राि ि online challan के माध्यम से जमा की है।

इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिन भातों के आधार पर अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी, उनकी अनुपालना निम्न प्रकार से है:-

- 1^प वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी । बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 2^प भुद्ध वर्तमान मूल्य की राि ि की बचनबद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालना रिपोर्ट के साथ दी है।
- 3^प प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा। बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 4^प प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निमार्ण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी। बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 5^प सडक निमार्ण के प चात जहां जहां भी सभव होगा, पौधरोपण का कार्य किया जाएगा। बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 6^प परियोजना के निमार्ण व रख-रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्रों की वनस्पतियों एवं जीवों के लिए रसोई को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 7^प वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्ा layout Plan के अलावा अन्य किसी उददे य के लिए नहीं किया जाएगा। बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 8^प किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा। बचन बद्धता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।

- 9^८ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की देख रेख प्रत्यावर्तित भूमि का आर,सी,सी, स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा पीछे असर अंकित किया गया हो। बचन बढ़ता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 10^८ प्रयोक्ता अभिकरण से उत्सर्जित मलवे को निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। बचन बढ़ता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है। बचन बढ़ता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 11^८ यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदे 1/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। बचन बढ़ता की प्रतिलिपि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी है।
- 12^८ ऐसी अन्य कोई भी भार्त जो कि भारत सरकार भविश्य में पर्यावरण, वन एवं जीवों के सरंक्षण हेतू आव वक लगाई जाएगी की अनुपालना पूर्ण रुप से की जाएगी।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०।